

राजस्थान सरकार

**कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा**

क्रमांक: न्याय/कोरोना/2020/ 23625

दिनांक :- 11 जुलाई, 2020

**:: आदेश अन्तर्गत धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता ::**

भीलवाड़ा जिले के उपखण्ड क्षेत्र जहाजपुर, आसीन्द एवं भीलवाड़ा में निवासरत व्यक्ति को नोवल कोरोना वायरस (कोविड-19) से संक्रमित पाये जाने से उसके आसपास के क्षेत्र में कोरोना वायरस के अत्यधिक संक्रमण की संभावना होकर नागरिकों के स्वास्थ्य, मानव जीवन एवं लोक शांति को खतरा उत्पन्न हो सकता है।

उक्त परिस्थितियों से मेरा समाधान हो गया है एवं मैं संतुष्ट हूँ कि ऐसी स्थिति में कोरोना संक्रमित व्यक्ति पाये गये क्षेत्रों एवं उसके आस-पास के क्षेत्र में निवासरत नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं केन्द्रीय लोक शान्ति बनाये रखने की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जीरो मोबिलिटी निषेधाज्ञा जारी की जावे।

अतः मैं जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत जिले के नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक शान्ति बनाये रखने की दृष्टि से जिले के उपखण्ड क्षेत्र जहाजपुर, आसीन्द एवं भीलवाड़ा की निम्न सीमा क्षेत्रों को **Containment** क्षेत्र घोषित कर निषेधाज्ञा लागू करता हूँ :-

क्र.सं.	नाम उपखण्ड	जीरो मोबिलिटी ऐरिया
1.	जहाजपुर	उपखण्ड क्षेत्र जहाजपुर की ग्राम पंचायत कूचलवाडा कला के राजस्व ग्राम हनुमानगर, शिव कॉलोनी चामुण्डा वाली गली के पीछे वार्ड न0 07 में निवासरत श्री मुकेश शर्मा पिता मूलचंद शर्मा के मकान को केन्द्र बिन्दु मानते हुये उत्तर दिशा में श्री शिवरतन पारीक के मकान तक दक्षिण दिशा में चामुण्डा टेण्ट हाउस तक पूर्व दिशा में 100 मी. तक खाली पडे भूखण्ड तक पश्चिम दिशा में श्री गोपाल चौधरी के मकान तक की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में।
2.	आसीन्द	उपखण्ड क्षेत्र आसीन्द के कस्बा आसीन्द में बडी पोल में निवासरत संक्रमित व्यक्ति भाविका (जिनल) पिता श्री राजेन्द्र पिता प्रेम चन्द कांटेठ के मकान को केन्द्र बिन्दु मानते हुये आबादी क्षेत्र से उत्तर दिशा में श्री भंवर लाल टेलर के मकान तक दक्षिण दिशा में बालचन्द सोनी के मकान तक पूर्व दिशा में वार्ड नम्बर 06 बडी पोल (सम्पूर्ण) तक की परिधी क्षेत्र की सम्पूर्ण सीमा में।
3	भीलवाडा	उपखण्ड क्षेत्र भीलवाडा के ग्राम पुर में निवासरत व्यक्ति श्री गौतम पिता इन्द्रमल छीपा के मकान को केन्द्र बिन्दु मानते हुये उत्तर दिशा में श्री नारायण छीपा के मकान तक दक्षिण दिशा में सब्जीमण्डी से माली मोहल्ला रास्ते तक पूर्व दिशा में छीपों का पंचायती नोहरे तक पश्चिम दिशा में श्री माली समाज के नोहरे तक की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में।

मैं, जिले के सभी नागरिकों को इस आदेश की पालना करने एवं अवहेलना नहीं करने के निर्देश देता हूँ। यदि कोई व्यक्ति उपर्युक्त प्रतिबन्धात्मक आदेशों का उल्लंघन करेगा, तो वह भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, 269, 270 एवं "The Epidemic Diseases (Amendment) Ordinance, 2020, National Disaster Management Act, 2005 एवं अन्य सु-संगत विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत अभियोजित किया जा सकेगा।

जिला मजिस्ट्रेट  
भीलवाड़ा

चूँकि विद्यमान परिस्थितियों में इस आदेश की व्यक्तिशः पालना कराया जाना सम्भव नहीं है। अतः एक पक्षीय आदेश जारी किया जाकर सर्व साधारण की जानकारी हेतु संबंधित उपखण्ड क्षेत्र की वर्णित सीमा क्षेत्र में मुख्य-मुख्य स्थानों पर इस आदेश को चस्पा कर, ध्वनि प्रसार यंत्रों एवं समाचार पत्रों के माध्यम से प्रचार-प्रसार कर नागरिकों को सूचित किया जावे।

यह आदेश आज दिनांक 11 जुलाई 2020 को सांय 6.00 बजे से अग्रिम आदेश तक प्रभावी रहेगा।



~~जिला मजिस्ट्रेट,  
भीलवाड़ा~~

प्रतिलिपि - निम्न को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

01. मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान, जयपुर
02. अति० मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज०, जयपुर
03. अति० मुख्य सचिव, गृह विभाग, राजस्थान-जयपुर
04. संभागीय आयुक्त, अजमेर
05. महानिरीक्षक, पुलिस रेंज, अजमेर
06. समस्त जिला मजिस्ट्रेट, राजस्थान
07. जिला पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश संबंधित समस्त पुलिस अधिकारियों को पालना सुनिश्चित करने हेतु भेजा जावे।
08. अति० जिला मजिस्ट्रेट, (प्रशासन/शहर) भीलवाड़ा
09. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, भीलवाड़ा
10. उपखण्ड मजिस्ट्रेट, जहाजपुर, आसीन्द एवं भीलवाड़ा को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश की अक्षरसः पालना सुनिश्चित करावे साथ ही स्थानीय स्तर पर सर्वसंबंधित विभागों/संस्थाओं आदि से समन्वय स्थापित कर दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुयें एवं सामग्री का उक्त प्रतिबन्धित क्षेत्र में निवासरत परिवारों को मौके पर ही उपलब्धता बाबत आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।
11. समस्त उपखण्ड मजिस्ट्रेट, जिला भीलवाड़ा
12. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भीलवाड़ा को भेजकर लेख है कि उक्त प्रतिबन्धित क्षेत्र में विशेष कार्ययोजना तैयार कर समुचित प्रबन्धन किया जाना सुनिश्चित करें।
13. समस्त तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जिला-भीलवाड़ा
14. सहायकनिदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क कार्यालय, भीलवाड़ा को व्यापक प्रचार प्रसार हेतु।
15. अति० निजी सचिव, जिला कलक्टर, भीलवाड़ा
16. सम्बन्धित थानाधिकारी जिला भीलवाड़ा को प्रेषित कर लेख है कि ध्वनि प्रसारण यंत्रों के माध्यम से आदेश को जन साधारण को सूचित किये जाने एवं आदेश की अक्षरसः पालना सुनिश्चित करने हेतु। (द्वारा-जिला पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा)

~~जिला मजिस्ट्रेट,  
भीलवाड़ा~~